रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26042024-253867 CG-DL-E-26042024-253867

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279] No. 279] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 25, 2024/वैशाख 5, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 25, 2024/VAISAKHA 5, 1946

# पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2024

फ़ा. सं. पीएनजीआरबी/प्राधिकरण/1-सीजीडी(16)/2020 (खंड-II) (ई-4599)-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 की उपधारा (1) के खंड (द) और उक्त अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रुप में नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की घोषणा करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2020 के अधिक्रमण में एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, तािक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 20 की उप-धारा (5) के तहत निर्धारित उद्देश्यों के विषय में मार्गदर्शन किया जा सके: -

# 1. लघु शीर्षक और प्रारंभ:

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की घोषणा करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2024 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

### 2. परिभाषाएं:

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

2711 GI/2024 (1)

- (क) "अधिनियम" का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) है;
- (ख) किसी व्यक्ति के संबंध में "संबद्ध" में ऐसा कोई अन्य व्यक्ति या इसका विपरीत शामिल होगा:-
  - (i) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं द्वारा, या कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर, प्रथम उक्त व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है; या
  - (ii) जो प्रथम व्यक्ति के कुल मतदान अधिकार का कम से कम बीस प्रतिशत नियंत्रण रखता है; या
  - (iii) जो उक्त प्रथम व्यक्ति की धारिता कंपनी या सहायक कंपनी है; या
  - (iv) जिसे बोर्ड के विचार में तथ्यों और कारकों के आधार पर सहयोगी माना जाता है, जिसमें नियंत्रण, स्वतंत्रता, हितों का टकराव शामिल है;
- (ग) "अधिकृत क्षेत्र" का अर्थ वह होगा जैसा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाना, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए संस्थाओं को प्राधिकार प्रदान करना) विनियम, 2008 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) में परिभाषित किया गया है;
- (घ) "अधिकृत संस्था" का अर्थ अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) में परिभाषित अनुसार होगा;
- (इ.) "बोर्ड" का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड होगा;
- (च) "सीजीडी नेटवर्क" का अर्थ "नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क" जैसा कि अधिनियम की धारा 2 के खंड (i) में परिभाषित किया गया है;
- (छ) "सामान्य वाहक या संविदा वाहक क्षमता" का अर्थ है ओपन एक्सेस के लिए सीजीडी नेटवर्क में क्षमता, जैसा कि अधिकृत संस्था की अपनी आवश्यकता के अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए एक्सेस कोड) विनियम, 2020 के तहत घोषित किया गया है;
- (ज) "सीजीडी नेटवर्क क्षमता" का वही अर्थ होगा जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की क्षमता का निर्धारण) विनियम, 2015 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (छ) में परिभाषित है;
- (झ) "विपणनकर्ता" का वही अर्थ होगा, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए एक्सेस कोड) विनियम, 2020 के विनियम 2 के खंड (न) में परिभाषित है;
- (ञ) "विपणन विशिष्टता" का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए विशिष्टता) विनियम, 2008 के विनियम 6 में निर्दिष्ट अनुसार सामान्य वाहक या संविदा वाहक के कार्यक्षेत्र से विशिष्टता होगी:
- (ट) किसी अधिकृत संस्था के संबंध में, "निजी आवश्यकता" का अर्थ सीजीडी नेटवर्क क्षमता का वह हिस्सा है, जो प्राधिकृत संस्था या उसके सहयोगियों द्वारा उपयोग की जाती है, जिसमें सिस्टम द्वारा गैस का उपयोग शामिल है;
- (ठ) "सिस्टम द्वारा प्रयुक्त गैस" का वही अर्थ होगा, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए एक्सेस कोड) विनियम, 2020 के विनियम (2) के उप-विनियम (1) के खंड (यछ) के रूप में परिभाषित है।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, और जिन्हें विनियमों में पिरभाषित नहीं िकया गया है, लेकिन अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या अन्य विनियमों में पिरभाषित िकया गया है, क्रमशः अधिनियम में या ऐसे नियमों या अन्य विनियमों, जैसा मामला हो, में उन्हें निर्दिष्ट िकया गया अर्थ होगा।
- 3. प्रयोज्यता ये विनियम किसी प्राधिकृत क्षेत्र के प्राधिकार पत्र में यथा उल्लिखित सामान्य वाहक अथवा संविदा वाहक के कार्यक्षेत्र से विशिष्टता के लिए समयाविध पूरी होने के बाद प्राधिकृत संस्था पर लागू होंगे।
- 4. **उद्देश्य:** इन विनियमों का उद्देश्य उनमें बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (5) के प्रावधानों को लागू करना है, अर्थात्: -
  - (क) संस्थाओं के बीच निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना;

3

- (ख) संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना;
- (ग) निष्फल निवेश से बचना; या
- (घ) आपूर्ति को बनाए रखना या बढ़ाना या समान वितरण हासिल करना या उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए विशिष्टिता) विनियम, 2008 के अनुसार, प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा सेवा दायित्वों को पूरा करने अनिवार्य है और वे सामान्य वाहक अथवा संविदा वाहक के कार्यक्षेत्र से विशिष्टता अविध के भीतर प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों में प्रत्येक चार्ज क्षेत्र तक पहुंचने के लिए बाध्य हैं।

ऐसे मामले में, जहां प्राधिकृत संस्था विशिष्टता अविध के भीतर सभी चार्ज क्षेत्रों तक पहुंच गई है, वहां संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धी दरों पर गैस उपलब्धता के संदर्भ में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर नए भागीदारों या आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प होना चाहिए। तदनुसार, ऐसे मामले में बोर्ड उपरोक्त विनियम में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपने सीजीडी नेटवर्कों को सामान्य वाहक या संविदा वाहक घोषित कर सकता है।

ऐसे मामले में, जहां प्राधिकृत संस्था सभी चार्ज क्षेत्रों तक नहीं पहुंची है, ऐसे मामले में प्राधिकृत संस्था द्वारा कवर किया गया क्षेत्र खुली पहुंच के लिए खोला जाएगा ताकि संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके और गैस उपलब्धता के संदर्भ में प्रतिस्पर्धी दरों पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। शेष क्षेत्र को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए विशिष्टता) विनियम, 2008 के औचित्य के आधार पर खुली पहुंच के लिए विचार किया जाएगा।

5. सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में अधिकृत क्षेत्र के नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की घोषणा करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत- बोर्ड प्राधिकृत संस्था के सीजीडी नेटवर्क को एक सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में घोषित करते समय, इन विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा जिसमें अधिनियम की धारा 20 के तहत एक सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में सीजीडी नेटवर्क घोषित करने के लिए बोर्ड द्वारा निर्देशित सिद्धांतों का पालन करना शामिल होगा।

प्राधिकृत कंपनी को अधिनियम के अधिदेश और पीएनजीआरबी (कंपनियों को नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकार देना) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुपालन में प्राधिकार के अनुसार सीजीडी नेटवर्क विकसित करना अपेक्षित है। सामान्यत: , प्राधिकृत संस्था को दो प्रकार की विशिष्टता प्रदान की जाए ; अर्थात्

- क) सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण या विस्तार करने के लिए; और
- ख) सीमित अवधि के लिए संविदा वाहक या सामान्य वाहक के कार्यक्षेत्र से छूट के संदर्भ में।

विशिष्टता प्रदान करने का औचित्य वर्तमान सीजीडी विशिष्टता विनियमों के तहत प्रदान किया गया है। अधिनियम की धारा 11 के खंड (क) में बोर्ड द्वारा "संस्थाओं के बीच निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना" का प्रावधान है। तदनुसार, संविदा वाहक या सामान्य वाहक के कार्यक्षेत्र से छूट की विशिष्टता अविध के पूरा होने के बाद, संबंधित सीजीडी नेटवर्कों को सामान्य वाहक/संविदा वाहक के रूप में घोषित किया जाएगा ताकि अधिनियम की धारा 11 के खंड (क) के कार्यों को कार्यान्वित किया जा सके।

चूंकि प्रत्येक सीजीडी नेटवर्क भूगोल, जनसंख्या, मांग, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के संदर्भ में भिन्न होते हैं और अन्य गैस की तरह, सभी सीजीडी नेटवर्क के लिए एक सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है।

तदनुसार, बोर्ड इन विनियमों के तहत सीजीडी नेटवर्क को सामान्य वाहक या ठेका वाहक के रूप में घोषित करते समय अधिनियम की धारा 20 (5) के तहत दिए गए कारकों द्वारा मार्गदर्शित होगा,

6. किसी अधिकृत क्षेत्र के सीजीडी नेटवर्क को एक सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में घोषित करने या अधिनियम की धारा 20 के तहत विनियमित करने या अनुमति देने की प्रक्रिया:

- (1) किसी सीजीडी नेटवर्क को सामान्य वाहक या संविदा वाहक घोषित करने के लिए बोर्ड अपनी राय बनाने से पूर्व प्राधिकृत संस्था को सुनवाई का अवसर देगा और सुनवाई के पश्चात् , सुनवाई की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर उस संदर्भ में प्राधिकृत संस्था के लिए अपनी राय बनाएगा।
- (2) उसके पश्चात् बोर्ड (वेबहोस्टिंग सहित) एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र (संबंधित प्राधिकृत क्षेत्र का) में, िकसी अधिकृत संस्था के सीजीडी नेटवर्क को सामान्य वाहक या संविदा वाहक या विनियमित करने की घोषणा करने के लिए या ऐसे सीजीडी नेटवर्क तक पहुंच की अनुमित देने के लिए एक सार्वजिनक नोटिस जारी करेगा, िक जिसमें संबंधित सीजीडी नेटवर्क का संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा, बोर्ड जिसे एक सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में विनियमित करने या इसकी अनुमित देने के लिए लागू करना चाहता है और ऐसे सार्वजिनक नोटिस जारी होने के तीस दिन के अंदर इस निर्णय से प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों और संस्थाओं से आपित्त और सुझाव, यदि कोई हों, आमंत्रित करेगा।

बशर्ते कि, यदि कोई अधिकृत संस्था कोई आपत्ति और सुझाव प्रस्तुत नहीं करती है, तो यह माना जाएगा कि उसे सार्वजनिक सूचना में बताए गए बोर्ड के आशय पर कोई आपत्ति नहीं है।

- (3) उप-विनियम (2) के तहत आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने के लिए स्वीकृत अवधि समाप्त होने पर, बोर्ड प्राप्त आपत्तियों सुझावों को अधिकृत संस्था को अग्रेषित करेगा और अपनी प्रतिक्रिया पंद्रह दिनों के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश देगा।
- (4) उप-विनियम (3) के तहत किसी प्राधिकृत संस्था द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने की समयाविध की समाप्ति के पश्चात्, बोर्ड किसी प्राधिकृत संस्था को इस मुद्दे पर सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा कि उसके सीजीडी नेटवर्क को सामान्य वाहक या संविदा वाहक घोषित क्यों नहीं किया जाना चाहिए या किसी तीसरे पक्ष को सीजीडी पहुंच प्रदान क्यों नहीं की जानी चाहिए।
- (5) बोर्ड ऐसे व्यक्तियों सिहत सभी हितधारकों को एक ओपन हाउस बैठक के लिए आमंत्रित कर सकता है, जिन्होंने उप-विनियमन (2) के तहत एक अधिकृत इकाई के साथ अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जिनके सीजीडी नेटवर्क को एक सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में घोषित किया जाना है।
- (6) बोर्ड उपर्युक्त उप-विनियम (5) के तहत ओपन हाउस के आयोजन की प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात्, अपने निर्णय को अधिसूचित करेगा कि क्या वह किसी सीजीडी नेटवर्क को एक सामान्य वाहक या संविदा वाहक नेटवर्क के रूप में घोषित कर रहा है या पहुंच को विनियमित करने या उस तक पहुंच बनाने की अनुमित दे रहा है, और लागू निबंधन एवं शर्तें क्या होंगी और यह ऐसा निर्णय किस तारीख से प्रभावी होगा।
- (7) अधिकृत संस्था, अपने स्वयं के अधिकृत क्षेत्र में सीजीडी नेटवर्क की घोषणा के लिए एक सामान्य वाहक या संविदा वाहक नेटवर्क के रूप में आवेदन कर सकती है। बोर्ड उप-विनियम (1) से (7) में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के बाद आवश्यक परिवर्तनों सिहित ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर तथा ऐसी तारीख, जैसा बोर्ड निर्धारित करे, सीजीडी नेटवर्क को एक सामान्य वाहक या संविदा वाहक नेटवर्क घोषित कर सकता है।

# 7. विविध:

- (1) बोर्ड को इन विनियमों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा और किसी भी विवाद के मामले में, बोर्ड द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- (2) यदि इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उस पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

#### 8. निरसन:

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को सामान्य वाहक या संविदा वाहक घोषित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2020 निरस्त हो जाएंगे।

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./048/2024-25]

# PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2024

**F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(16)/2020 (Vol-II) (E-4599)-** In exercise of the powers conferred by clause (r) of sub-section (1) of section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006) and other applicable provisions of the said Act, the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, in supersession of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring City or Local Natural Gas Distribution Networks as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2020, so as to be guided by the objectives laid down under sub-section (5) of section 20of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006:-

#### 1. Short title and commencement:

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring City or Local Natural Gas Distribution Networks as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. Definitions:

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -
  - (a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006);
  - (b) "Associate", in relation to a person, includes such another person or vice versa;
    - (i) who, directly or indirectly, by himself, or in combination with some other persons, exercises control over the first said person; or
    - (ii) who holds control of at least twenty percent of the total voting right of the first person; or
    - (iii) who is a holding company or a subsidiary company of the first said person; or
    - (iv) who in the view of the Board is considered as an associate based on the facts and factors including the extent of control, independence and conflict of interest;
  - (c) "Authorized area" shall have the meaning as defined in clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 2of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008;
  - (d) "Authorized entity" shall have the meaning as defined in clause (d) of section 2 of the Act;
  - (e) "Board" shall mean the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board;
  - (f) "CGD network" means a "city or local natural gas distribution network" as defined in clause (i) of section 2 of the Act;
  - (g) "common carrier or contract carrier capacity" means the capacity in a CGD network for open access, as declared by the authroised entity under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2020, over and above the authorized entity's own requirement;
  - (h) "CGD network capacity" shall have the same meaning as defined in clause (g) of sub-regulation
    (1) of regulation 2 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining Capacity of City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2015;
  - (i) "marketer" shall have the same meaning as defined in clause (t) of regulation 2 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2020;
  - (j) "marketing exclusivity" shall mean the exclusivity from the purview of common carrier or contract carrier as specified in regulation 6 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2008;
  - (k) "own requirement", in respect of an authorized entity, means that part of the CGD network capacity, which is utilized by the authorized entity or its associates, including the system use gas;
  - (l) "system use gas" shall have the same meaning as defined in clause (zg) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2020

- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act or in the rules or other regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in such rules or other regulations, as the case may be.
- **3. Applicability.** These Regulations shall apply to an authorised entity after completion of time period for exclusivity from the purview of common carrier or contract carrier as mentioned in the Authorization Letter of an authorised area.
- **4. Objectives.** The objective of these regulations is to implement the provisions of sub-section (5) of section 20 of the Act to achieve the objectives stated therein, namely: -
  - (a) protecting the interests of consumers by fostering fair trade and competition amongst the entities;
  - (b) promoting competition among entities;
  - (c) avoiding infructuous investment; or
  - (d) maintaining or increasing supplies or for securing equitable distribution or ensuring adequate availability of natural gas to consumers.

As per the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2008, the authorized entities are mandated to meet the service obligations and are obliged to reach out to every charge area in the authorized GAs within the exclusivity period from the purview of common carrier or contract carrier.

In case, wherein authorized entity has reached all the charge areas within the exclusivity period there should be option of new players or suppliers within the authorized Geographical areas to foster competition among entities and protect the interests of the consumers in terms of gas availability at competitive rates. Accordingly, in such case the Board may declare their CGD networks as common carrier or contract carrier following the procedures mentioned in the aforesaid Regulation.

In case, wherein authorized entity has not reached all the charge areas, in such case the area which has been covered by the authorized entity shall be opened for open access to foster competition among entities and protect the interests of the consumers in terms of gas availability at competitive rates. The rest area shall be considered for open access based on rationale of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2008.

5. Guiding Principles for Declaring the City or Local Natural Gas Distribution Network of an authorised area as Common Carrier or Contract Carrier. — The Board shall, in seeking to declare CGD Network of an authorised entity as a common carrier or contract carrier, follow the provisions of these regulations which constitute the guiding principles to be followed by the Board for declaring the CGD network as a common carrier or contract carrier under section 20 of the Act.

The authorized entity is required to develop CGD networks as per the authorization in compliance of the mandate of the Act and provisions of the PNGRB (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008. In general, the authorized entity may be granted two kinds of Exclusivity; that it is to say

- a) for laying, building or expansion of the CGD network; and
- b) in terms of an exemption from the purview of the contract carriage or common carrier for a limited period of time.

The Rationale for granting exclusivity is provided under extant CGD exclusivity Regulations. Clause (a) of section 11 of the Act provides for the function of Board as to "protect the interest of consumers by fostering fair trade and competition amongst the entities." Accordingly, Post completion of exclusivity period of exemption from the purview of contract carrier or common carrier, the respective CGD networks shall be declared as common carrier/contract carrier so that the functions of clause (a) of section 11 of the Act can be implemented.

Since every CGD networks are different in terms of geography, population, demand, availability of natural gas and like other gas, one principle cannot be implemented to all CGD networks. Accordingly, the Board shall be guided by the factors as given under Section 20 (5) of the Act while declaring a CGD network as common carrier or contract carrier under these regulations,

6. Procedure for Declaring the CGD Network of an authorised area as a Common Carrier or Contract Carrier or Regulating or Allowing Access thereto under Section 20 of the Act. —

- (1) The Board before forming an opinion for declaring a CGD Network as Common Carrier or Contract Carrier, shall give an opportunity of being heard, to an authorised entity and after hearing, shall form its opinion thereof, within fifteen days from the date of hearing to an authorised entity.
- (2) Thereafter, the Board shall issue (including webhosting), a public notice in one national and one vernacular daily newspaper (of the relevant authorized area) of its intention to declare the CGD network of an authorised entity as common carrier or contract carrier or regulate or allow access to such CGD network, giving brief details of the relevant CGD network that the Board is intending to regulate or allow access to, or declare as a common carrier or contract carrier and invite objections and suggestions, if any, within thirty days from the date of issuance of such public notice from all persons and entities (including the authorised entity) likely to be affected by such decision:

Provided that in case, an authorised entity does not submit any objections and suggestions, it shall be presumed that it has no objection to the Board's intention stated in the public notice.

- (3) On expiry of the period allowed for submission of objections and suggestions, if any, under subregulation (2), the Board shall forward the objections and suggestions so received, to the authorized entity with the direction to submit its response within fifteen days.
- (4) After expiration of time period for submission of the response by an authorised entity under subregulation (3), the Board shall provide an opportunity of being heard, to an authorised entity, on the issue as to why its CGD network should not be declared a common carrier or contract carrier or why there no third party should be provided access to its CGD.
- (5) The Board may invite all stakeholders including such persons who have offered their objections and suggestions under sub-regulation (2) along with an authorized entity, whose CGD Network is to be declared as a Common Carrier or Contract Carrier, for an open house meeting.
- (6) The Board shall after completion of the process of holding an open house under sub-regulation (5), notify its decision as to whether it is declaring the CGD network as a common carrier or contract carrier network or regulating access or allowing access to the same, and the applicable terms and conditions and the date from which such decision shall come into effect.
- (7) The authorized entity may, on its own, apply to the Board seeking declaration of the CGD network in its authorised area as a common carrier or contract carrier network. The Board may after following the process specified in sub-regulations (1) to (7) as may be *mutantis mutandis applicable*, declare such CGD network as a common carrier or contract carrier network on such terms and conditions and from such date as the Board may deem fit.

#### 7. Miscellaneous. —

- (1) The Board shall have the power to issue clarifications with regard to these regulations and in case of any dispute, the clarification given by the Board shall be final and binding.
- (2) If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.

#### 8. Repeal:

The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring City or Local Natural Gas Distribution Networks as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2020 shall stand repealed.

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./048/2024-25]